रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 1999/चैत्र 2, 1921

No. 146] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 1999/CHAITRA 2, 1921

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

पूंजी बाजार प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1999

का. आ. 180(अ).—भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड, मुम्बई द्वारा जारी किए जाने वाले छह सौ करोड़ रुपए से अनधिक के कुल मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति के, जिन्हें निम्नलिखित रूप में वर्णित किया गया है :—

1. इनकैश बॉंड
2. टैक्स सेविंग बॉंड
3. रैगुलर इन्कम बॉंड
4. मनी मल्टीप्लायर बॉंड

अप्रतिभूत मोचनीय बॉंड (आई.सी.आई.सी.आई. सेफ्टी बॉंड-मार्च, 1999) प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 6/6/सी.एम./99]

जीतेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Capital Market Division

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 1999

S.O. 180(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), the Central Government hereby authorises the Unsecured Redeemable Bonds (ICICI-Safety Bonds-March, 1999) in the nature of debentures described as :—

1. Encash Bond;
2. Tax Saving Bond;
3. Regular Income Bond;
4. Money Multiplier Bond,

of the total aggregate value not exceeding rupees six hundred crores only to be issued by the Industrial Credit and Investment Corporation India, Mumbai, for the purpose of the said section.

[F. No. 6/6/CM/99]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054